

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2021 — फाल्गुन 3, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना
सं 89/2020—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-05/2021/वाक/पांच (13).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 के 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 14/2020—राज्य कर क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(38) दिनांक 31 मार्च, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 178 तारीख 31 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के प्रावधानों का 1 दिसंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के बीच की अवधि में अनुपालन नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत देय दंड की राशि को माफ करती है, यह इस शर्त के अधीन है कि उक्त व्यक्ति 1 अप्रैल, 2021 से उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

2. यह अधिसूचना 29 नवम्बर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-05/2021/वाक/पांच (13).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/2021/वाक/पांच (13), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 89/2020 – State Tax

No. F 10-05/2021/CT/V(13).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125 of the said Act for non-compliance of the provisions of notification No. 14/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(38), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st March, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 178, dated the 31st March, 2020, between the period from the 01st day of December, 2020 to the 31st day of March, 2021, subject to the condition that the said person complies with the provisions of the said notification from the 01st day of April, 2021.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 29th November 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.